**अध्याय-1**

**भारत सरकार के अधीन डीजीईएंडटी के कार्य (कार्य आबंटन) नियम, 1961**

**भाग - II समवर्ती विषय**

1. रोजगार और बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के अतिरिक्त
2. कारीगरों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण

**भाग - V विविध कारोबार**

1. रोजगार कार्यालय।
2. भारत और विदेशों में पर्यवेक्षी स्तरों पर प्रशिक्षकों, कारीगरों, तकनीशियनों और फोरमैन के प्रशिक्षण के लिए योजनाएँ, शिक्षुता प्रशिक्षण।

\*\*\*\*\*

**परिचय**

  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी), महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय का शीर्ष संगठन है। रोजगार सेवा, रोजगार कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन हैं। डीजीईएंडटी अपने सीधे नियंत्रण के तहत क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेष क्षेत्रों में **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ** भी चला रहा है।  राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों का विकास, विशेष रूप से सामान्य नीतियाँ, सामान्य मानक और प्रक्रियाएँ, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और व्यापार परीक्षण डीजीईएंडटी की जिम्मेदारी है। लेकिन, रोजगार कार्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दैनंदिन प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का है।

**क्रमिक विकास**

पुनर्वास और रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएंडई), जो अब रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के रूप में जाना जाता है, रक्षा सेवा से मुक्त कर्मियों और युद्ध श्रमिकों के नागरिक जीवन में पुनर्वास के प्रयोजन से जुलाई 1945 में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद निदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य को सँभालने के लिए कहा गया। इसके बाद, 1948 के आरंभ में सभी वर्गों के नौकरी चाहने वालों की रोजगार सेवाओं को आवृत करने, और 1950 में सभी नागरिकों को प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करने के लिए निदेशालय का दायरा विस्तृत किया गया।  प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (1952 में स्थापित शिव राव समिति) की सिफ़ारिशों के अनुसरण में, 1.1.1956 से प्रभावी, रोजगार केंद्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को हस्तांतरित किया गया। संगठन की लागत के 60 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकारों के साथ केंद्र की ओर से लागत साझा करने की योजना 31-03-1969 तक जारी रही, जिसके बाद योजना मई, 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर योजना समाप्त की गई। इस प्रकार जनशक्ति और रोजगार योजनाएं और कारीगरों की प्रशिक्षण योजना (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हस्तांतरित की गई, जो 01-04-1969 से प्रभावी है। प्रत्येक क्रमागत पंच वर्षीय योजना के साथ केंद्र और राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा की गतिविधियों में काफी विस्तार होता रहा है।

**कार्य:**

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समग्र नीतियों, नियमों और मानकों को तैयार करना।
2. कारीगर और कारीगरों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण सुविधाओं में विविधता लाना, उनको अद्यतन और विस्तृत करना।
3. विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधानों का आयोजन और संचालन।
4. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को कार्यान्वित, विनियमित करना और उसका दायरा बढ़ाना।
5. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श प्रदान करना।
7. मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाते हुए सहायता करना।
8. रोजगार अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और रोजगार सेवा कर्मियों के उपयोगार्थ कर्मचारी प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।
9. रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना और उनका प्रसार और एकसमान रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।